**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3843**

**02 अप्रैल, 2018को उत्तर के लिए**

**एन.ई.सी.सी. से प्राप्त ज्ञापन**

**3843.श्री महेन्द्र सिंह माहरा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल एक्स सर्विसमेन को-आर्डिनेशन कमेटी (रजिस्टर्ड) से स्पीड पोस्ट के जरिए मंत्रालय को ऐसे कितने ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिन्हें विगत चार महीनों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों तथा माननीय संसद सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से और 30 नवम्बर, 2017 को अग्रेषित किया गया था;और

(ख) इनमें कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति (एनईसीसी) से छः ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख): ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे संलग्न 'अनुबंध' में दिए गए हैं। इन मुद्दों की जांच की गई है और इस पर प्राप्त टिप्पणियों को एनईसीसी को भेज दिया गया है।

..2/-

- 2 –

**एन.ई.सी.सी. से प्राप्त ज्ञापन के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 3843 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति द्वारा उनके ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं**

|  |  |
| --- | --- |
| **क्रम सं.** | **विषय** |
| 1. | **मौलिक कर्तव्य के रूप में अनिवार्य सैनिक भर्ती – संविधान का अनुच्छेद** 51**(क) (ग एवं घ) – किसी भी सरकारी, संवैधानिक पद तथा सरकार से रियायत पाने के इच्छुक सक्षम नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का आरंभ** |
| 2. | **सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए** 1973 **से पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए सिविल पेंशन से सेना पेंशन को अलग करना तथा तीसरे वेतन आयोग** 1973 **द्वारा की गई ऐतिहासिक आपराधिक गलती में संशोधन करना** |
| 3. | **अखिल भारतीय सशस्त्र बल कार्मिक / भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार सदस्य कल्याण सेवा विधेयक –** 2017 **का अधिनियमन** |
| 4. | **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोगों को प्रदत्त शक्तियों के साथ संविधान के अनुच्छेद** 338 **के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक राष्ट्रीय आयोग का गठन ।** |
| 5. | **भारत के संविधान के अनुच्छेद** 246 **की सातवीं अनुसूची की सूची-III – समवर्ती सूची में भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास को सम्मिलित किया जाए** |
| 6. | **वर्ष** 1984 **में उच्च स्तरीय समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुसार सरकारी / पीएसयू / पीएसबी एवं अन्य स्वायत्तशासी निकायों में पदोन्नति के लिए वेतन निर्धारण तथा वरिष्ठता हेतु सैन्य सेवा को मान्यता** |
| 7. | **सशस्त्र बलों में 5 वर्षों से अधिक की सेवा कर चुके एसएसओ / ईसीओ एवं पीबीओआर के लिए समानुपात पेंशन और अन्य देशों के सांसदों / विधायकों इत्यादि की तरह उपदान का भुगतान** |
| 8. | **कौशल प्राप्त / विकसित मानव संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से सेवानिवृत्त होने पर पार्श्विक भर्ती** |

..3/-

- 3 -

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | **सेवानिवृत्त होने पर भारत सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्वरोजगार** |
| 10. | **भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी श्रेणियों में** 50 **वर्ष की आयु तक सरकारी रोजगार में भर्ती हेतु अधिकतम आयु में वृद्धि क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु** 60/62/65 **वर्ष तक बढ़ा दी गई है।** |
| 11. | **सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए आरक्षण का प्रावधान जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 243घ, 243न एवं भाग – XVI के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को प्रदान किया जा रहा है।** |
| 12. | **सशस्त्र बलों में धारित रैंक के आधार पर, व्यवसाय, कारोबार तथा रोजगार संबंधी सरकारी नीति में भेदभाव दूर करना । संविधान का अनुच्छेद 19(छ) और संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27** |
| 13. | **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्रोजगार के लिए सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण हेतु नीतियों / दिशानिर्देशों की समीक्षा** |
| 14. | **केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / एसबीआई / आरबीआई एवं केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकायों में पुनर्रोजगार पर स्थानांतरण नीति** |
| 15. | **सशस्त्र बल कार्मिकों एवं सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न विकास प्राधिकरणों / छावनियों एवं नगर निगम क्षेत्रों, स्मार्ट शहरों इत्यादि में आवास योजनाएं** |
| 16. | **भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं राज्य / केंद्रीय स्तरों पर राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए विकसित मानव संसाधनों का उपयोग** |
| 17. | **केंद्रीय / राज्य सरकार स्तरों पर विभिन्न समितियों / आयोगों में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व** |
| 18. | **केएसबी / आरएसबी / जेडएसबी एवं एससीओवीए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में भूतपूर्व सैनिकों (पीबीओआर) का मनोनयन** |
| 19. | **भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं राज्य / केंद्रीय स्तरों पर राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए विकसित मानव संसाधनों का उपयोग** |
| 20. | **सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)** |
| 21. | **सभी व्यावसायिक महाविद्यालयों / संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को उनकी जाति एवं धर्म के निरपेक्ष उनके लिए समान आरक्षण और फीस रियायत** |
| 22. | **भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को स्नातक तक ट्यूशन फीस प्रदान करना** |
| 23. | **पेंशनभोगी अथवा गैर-पेंशनभोगी की उनकी स्थिति के निरपेक्ष सशस्त्र बलों के वृद्ध भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय** |
| 24. | **राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति (पंजीकृत) को मान्यता एवं केंद्रीय / राज्य सरकारों की विभिन्न समितियों में उनके प्रतिनिधियो का मनोनयन** |
| 25. | **सशस्त्र बलों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए देश भर में एकीकृत रूप से लागू बंदूक लाइसेंस समान नीति का निरूपण** |
| 26. | **युद्ध विधवाओं (वीर नारियां) को रोजगार के लिए आयु मानदंडों के संबंध में समरूप दिशानिर्देशों का निरूपण** |
| 27. | **पेंशन में आयकर से छूट** |

**\*\*\***